न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5815/2003/सवाई माधोपुर

1. श्रीमती इन्द्रा पुत्री मनमोहन पत्नि रामनारायण जाति ब्रहमण निवासी हिन्दूपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. मन्जू पुत्री मनमोहन पत्नि रवि जाति ब्राहमण निवासी गंगापुरसिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

....**अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण**

बनाम

हरिप्रिया देवी उर्फ लाडबाई पुत्री केसरलाल पत्नि रामकुंवार जाति ब्राहमण निवासी सवाई माधोपुर– मृतक (जरिये कायममुकाम)
1/1. राजेन्द्र शर्मा

....**उत्तरदाता/वादी**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता, उत्तरदाता।

निर्णय

दिनांकः– 09–01–2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील सं. 129/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–11–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष रेस्पोर्डेट/वादी ने एक दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम सवाई माधोपुर स्थित विवादित

आराजी खसरा संख्या 402 रकबा 12 बिस्वा, 403 रकबा 11 बिस्वा, 404 रकबा 8 बिस्वा व 405 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद के क्रम में प्रतिवादीगण को जवाब के कई अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा अपना जवाबदावा पेश नहीं किया गया, इसके बाद दिनांक 01–08–2002 को प्रतिवादीगण के वकील ने नो इंन्ट्रक्शन प्लीड किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर वाद/वादी को आज्ञा दिनांक 19–05–2003 से स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–11–2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होंने कहा कि वादी ने अपना वाद भ्रामक तथ्यों को आधारित करते हुए पेश किया तथा यही नहीं पूर्व वाद संख्या 618/1981 के तथ्यों को छिपाते हुए हस्तगत वाद पेश किया है। अतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को वादी के वाद को आदेश 6 नियम 1 व 2 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के तहत अपास्त किया जाना चाहिए। आगे बताया कि वादिया के पिता कभी भी प्रश्नगत रकबे के खातेदार काश्तकार नहीं थे। इसके अतिरिक्त पूर्व वाद व वर्तमान वाद में वादिया ने केसरलाल को माफीदार कथित कर पेश किया है तथा माफी रिज्यूम होने के बाद वादिया को वाद लाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त वादिया माफीदार की उत्ततराधिकारी नहीं हो सकती तथा वादिया का मूल वाद संधारण योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में उनके अधिवक्ता ने नो इन्ट्रक्शंन प्लीड करने

के बाद न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह प्रतिवादी को नये सिरे से नोटिस जारी करता, किन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यहीं नहीं विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संयोजित करने के बाद जानकारी होने पर उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिसे न्यायालय अनुचित तरीके अपास्त कर दिया और वादी की एकपक्षीय शहादत लेकर वाद को डिक्री कर दिया। विधिक प्रावधानों के अनुसार मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण का पक्ष सुनना चाहिए था। आगे बताया कि तथ्यों को छिपाकर वाद पेश करने के कारण वादिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई है। उनका तर्क है कि पूर्व में निर्णित वाद के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर अवैधानिकता की है। जबकि पूर्व वाद में हुए निर्णय की रोशनी में वादिया का हस्तगत वाद संधारण योग्य नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व–न्याय के सिद्धान्तों की गलत व्याख्या करके आक्षेपित निर्णय पारित किया है। आगे बताया कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर समाप्त होनें की स्थिति में वादिया को अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करना चाहिए था किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का प्रश्नगत रकबे पर पिछले 50 सालों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उनका आगे तर्क है कि जब वादिया स्वयं अपीलार्थी के पिता मनमोहन के विरूद्ध बेदखली का वाद दायर किया था तो उक्त वाद दिनांक 04–07–1995 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में अपास्त हो चुका था तो ऐसी स्थिति में वादिया का वाद बाबत घोषणा जो कि कब्जे के अभाव में कानूनन डिक्री नहीं किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किए है, वह निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–11–2003 तथा उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2003 एवं वादिया के मूल वाद को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताया। उनका कथन है कि प्रश्नगत रकबे के बाबत पूर्व में अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद दायर किया गया था, जो कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने की स्थिति में वादी के हस्तगत वाद में पूर्व–न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। उनका कहना है कि प्रश्नगत रकबा उनके पिता की माफी की भूमि थी, इस कारण विधिक प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण के नाम भूमि की खातेदारी देय नहीं है। उनका यह तर्क है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण को अपना जवाबदावा पेश करने हेतु कई बार अवसर प्रदान किए गए थे, किन्तु प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया तथा अन्तोगत्वा वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उनका यह भी तर्क है कि वादिया ने अपने वाद को पर्याप्त व समुचित प्रलेखीय साक्ष्य से समुचित तरीके से प्रमाणित कराया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती विधि सम्मत निष्कर्ष अंकित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2005 एआईआर एससी 626, 2015 डीएनजे एससी 828, 2018 डीएनजे राज. 291, 1993 एआईआर एससी 1756, 2008 आरआरटी 1041, 2004 डब्ल्यूएलसी एससी 296, 1996 डीएनजे एससी 42, 2010 आरबीजे 290, 1987 आरआरडी 375, 1975 आरआरडी 461, 1974 आरआरडी 346 तथा 2018 आरबीजे 513 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 19 नियम 4 सीपीसी पेश किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवादीगण ने जरिये निगरानी चुनौती नहीं दिए जाने के फलस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-04-2003 अन्तिम हो चुका है। अतः हमारे समक्ष अपीलार्थीगण का यह आक्षेप कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में उन्हें सुना नहीं गया, गलत पाया जाता है। उल्लेखित है कि वाद की कार्यवाही में स्वयं पक्षकारान को सतर्क रहना चाहिए तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना चाहिए, जिसका कि प्रकरण में अभाव है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा पेश प्रथम अपील को गुणावगुण पर निष्कर्षित करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है।

8. उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी म्वत 2042-2045 के अनुसार प्रश्नगत रकबा मनमोहन पुत्र रामदास की खातेदारी में दर्ज है तथा पूर्व में यह भूमि केसरलाल वल्द प्रभू की माफी में दर्ज है। इसके अतिरिक्त बंदोबस्त खतौनी सम्वत 2009 के अनुसार रकबा मु0 नैनी बेवा केसरलाल के नाम से दर्ज है जो कि प्रदर्श-4 है। वादी हरिप्रिया केसरलाल की पुत्री है व विरासत से हरिप्रिया को सम्पत्ति में अधिकार निहित है तथा हरिप्रिया ससुराल चले जाने से उसके पिता के द्वारा धारित भूमि में उसके अधिकार नियमानुसार समाप्त नहीं माने जा सकते। रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि हरिप्रिया द्वारा पूर्व में मनमोहन के विरूद्ध अधिनियम की धारा 183 व 188 के तहत वाद दायर किया था जो कि खारिज हुआ था।

9. बहस के दौरान अपीलार्थीगण ने यह भी आक्षेप उठाया है कि प्रश्नगत रकबे बाबत वादिया द्वारा पूर्व में पेश वाद खारिज होने की स्थिति में उसी आराजी बाबत पुनः हस्तगत वाद पेश किए जाने की स्थिति में वादिया का वाद रेसज्येडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने से अपास्त किए जाने योग्य है। इस बाबत यहां यह उल्लेख करना समीचीन

है कि वादिया का पूर्व अधिनियम की धारा 183 के तहत दायर किया था जो कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में अपास्त किया गया है तथा वर्तमान वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत दायर किए जाने की स्थिति में वर्तमान वाद की पृष्ठभूमि भिन्न होने के कारण रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। तदनुसार अपीलार्थीगण का आक्षेप निराधार है। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण का प्रश्नगत रकबे बाबत किस प्रकार से अधिकार प्राप्त है, इस बाबत प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार प्रलेखीय या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है, इसके विपरीत वादिया ने अपने वाद के समर्थन में भूमि से संबधित राजस्व रेकार्ड को पेश किया है। स्थिति यह प्रकट होती है कि मु0 नैनी पत्नि केसरलाल की भूमि में प्रतिवादी को किस प्रकार अधिकार प्राप्त है, इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध कराना आवश्यक है, जो कि प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। केवल मात्र बंदोबस्त की कार्यवाही में मनमोहन की खातेदारी का अंकन हो जाने मात्र से मनमोहन के वारिस को ऐसी भूमि पर अधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। मु. नैनी देवी पत्नि केसरलाल की आराजी में प्रतिवादीगण का किस प्रकार हक निहित है, यह स्पष्ट करने में प्रतिवादीगण पूर्णतया विफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त विभाग को राजस्व रेकार्ड की पुरानी स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की अधिकारिता प्राप्त नहीं है तथा बंदोबस्त विभाग को राजस्व रेकार्ड के पुराने इन्द्राजातों की पुनरावृत्ति करने की केवल मात्र अधिकारिता प्राप्त है। इस मामले में प्रश्नगत आराजी मनमोहन के नाम बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा/आदेश के प्राप्त हुई है। इस कारण नियमानुसार प्रतिवादीगण प्रश्नगत रकबे बाबत किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपलब्ध समस्त राजस्व रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात व दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वादी के मूल वाद में उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 19-05-2003 को पारित करने में न्यायालय द्वारा किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुकूल पायी जाती है।

10. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने

आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के साथ पेश रेकार्ड तथा सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मामले में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय में किसी विधि का उल्लंघन होना या अपनी क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। अतः आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है।

11. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है तथा वर्तमान में उपलब्ध स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पारित किए निर्णय में विधि की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया हो। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पारित आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के अनुसरण में पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन/बलहीन होना दर्शित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-11-2003 तथा उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-05-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य